न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(आनन्दी लाल वैष्णव,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 28/2019
प्रविष्टि दिनांक 09.08.2019

कालू पुत्र घासी जाति बैरवा निवासी ढाणी बैरवान केरिया तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 23.01.2019 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्रीमति रमा चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 04.10.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 23.01.2019 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 11/8 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा मे से 2 बीघा किस्म बारानी—2 वाके ग्राम बीबली खेडी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है ओर न ही अपीलान्ट की प्रोपर तामील करवाई है। निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवंश गलत रिपोर्ट अपीलांट के खिलाफ की है। मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट पटवारी हल्का ने किस तारीख को तैयार की, उक्त तारीख का अंकन भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में नहीं है। पटवारी हल्का ने कोई निष्पक्ष

अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

832

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट भी तैयार नहीं की है। पटवारी हल्का ने कब व किस के सामने रिपोर्ट तैयार की इसका भी अंकन निर्णय में नहीं है। अपीलांट को जो नोटिस तामिल हुआ है वह अपूर्ण है और न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट द्वारा किसी भी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है ओर न ही अपीलांट का किसी सिवायचक भूमि से कोई सम्बन्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी सिवायचक भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 11/8 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा मे से 2 बीघा वाके ग्राम बीबली खेडी तहसील मालपुरा पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्व है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था। विवादित भूमि सिवायचक है जो सार्वजनिक उपयोग एवं हित की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट व प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.01.2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
अति. जिला कलेक्टर, टोक

Scanned by CamScanner